जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 205 वीं बैठक दिनांक 27.09.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे एजेण्डा संख्या 1 से 7 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 10 तक अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–।।) द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी–।) द्वारा अतिरिक्त एजेण्डा सं. 11 से 14 प्रस्तुत किये गये एवं बैठक में लिये गये निर्णयो का कार्यवाही विवरण संबंधित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक शाखा द्वारा तैयार किये गये, जिसका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लियाः–

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी–।)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–द्वितीय) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री लोकेश सहल, उपायुक्त, जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रवीण अग्रवाल, उपायुक्त, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओंकार मल सैनी, उपायुक्त, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त, जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मूलचन्द, उपायुक्त, जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री संजय जैन, उपायुक्त, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री शक्ति सिंह सिसोदिया, उपायुक्त, जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त, जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
10. श्रीमती नीतू बारूपाल, उपायुक्त, जोन–17, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
13. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, पी.आर.एन, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री सोहन वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री भरतमल माली, सहायक नगर नियोजक, जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
17. श्रीमती प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक, (एम.पी/एल.पी) जविप्रा, जयपुर।
18. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा

205 / 27.09.2013

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक कमांक 204 वीं बैठक दिनांक 20.09.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 204 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन थे जो कि क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2013 / डी–211 दिनांक 27.09.2013 को जारी किये जा चुके हैं।

बीपीसी (एलपी) की 203 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या–4 (जोन–11) के दिनांक 25.09.2013 को जारी कार्यवाही विवरण के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा कुछ विरोधाभास होने की स्थिति से बैठक के दौरान अवगत कराया गया उक्त संबंध में पुनः पत्रावली पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया।

समिति के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत एजेण्डा व पत्रावली पर विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम महापुरा से खटवाडा होते हुये सेज को जोडने वाली अवाप्त की गई, निर्मित 200 फीट सड़क का अलाईमेन्ट व मास्टर विकास योजना–2025 की प्रस्तावित 60 मीटर (200 फीट) सड़क का अलाईमेन्ट भिन्न है। अतः मास्टर विकास योजना–2025 की प्रस्तावित 60 मीटर (200 फीट) सडक के स्थान पर निर्मित सड़क को ही मास्टर प्लान का भाग माना जावेगा व मास्टर विकास योजना–2025 के अलाईमेन्ट को आंशिक विलोपन माना जावेगा इस हेतु माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण से पत्रावली पर अनुमति लेने का निर्णय लिया गया।

शुद्धि संशोधन हेतु

बीपीसी (एलपी) की 193 वीं बैठक दिनांक 17.05.2013 के कार्यवाही विवरण में एजेण्डा कमांक–8 (जोन–8) में सेक्टर 39 के स्थान पर टंकण की गलती से 49 टंकित हो गया था, अतः सेक्टर 49 के स्थान पर सेक्टर 39 पढ़ा जावें।

एजेण्डा

205 / 27.09.2013

विषय :– सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया सेक्टर प्लान के सम्बन्ध में विगत सप्ताह में की गई प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्या–1

205/27.09.2013 (जोन–7)

विषय :– गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महादेव नगर के भूखण्ड संख्या 9 (पुरान नं. 11 ए) के नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 8 व 9 के मध्य की सडक को 40' अनुमोदित किया गया था एवं भूखण्ड संख्या 8 व 9 का सडक पर कब्जा है अतः उपायुक्त जोन द्वारा पुनः परीक्षण किया जावें, तब तक प्रकरण स्थगित रखा जावें।

एजेण्डा संख्या–2

205/27.09.2013 (जोन–8)

विषय :– सेक्टर नं. 39 में से सेक्टर रोड़ विलोपित करवाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, पूर्व में प्रकरण को बी.पी.सी. (एल.पी.) की 191वीं बैठक दिनांक 15.03.2013 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें आम जनता से आपत्ति/सुझाव लिए जाने का निर्णय लिया गया था। एक आपत्ति बैठक में प्राप्त हुई है, जिस पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन उपायुक्त द्वारा सेक्टर 39 का निरीक्षण किया जाने के पश्चात् आपत्तिकर्ताओं को भी सुन लिया जावे व पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावें।

एजेण्डा संख्या–3

205/27.09.2013 (जोन–9)

विषय :– सूर्य नगर योजना में गुजर रही 40 फीट चौड़ी सेक्टर रोड को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि इस क्षेत्र के वर्तमान सेक्टर प्लान में व मौके पर स्थित सडको में काफी अन्तर है, इसलिए निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा सम्पूर्ण सेक्टर क्षेत्र का सर्वे करवाया जावें तथा सर्वे पश्चात् मौके की स्थिति के अनुसार संशोधित सेक्टर, प्लान मास्टर प्लान शाखा द्वारा तैयार किये जाकर बीपीसी (एलपी) की बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

एजेण्डा संख्या–4

205/27.09.2013 (जोन–9)

विषय :– निजी खातेदारी आवासीय योजना राजीव गांधी नगर में प्रस्तावित 200 फीट सड़क के एलाईमेन्ट में आंशिक परिवर्तन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, पूर्व में प्रकरण को बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 13.09.2013 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने व परिवर्तित एलाइनमेंट से प्रभावित खातेदारों को रजिस्टर्ड पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था। निर्धारित अवधि में किसी भी खातेदार से लिखित में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। बैठक में श्री रविन्द्र सिंह ठक्कर व अन्य खातेदार समिति के समक्ष उपस्थित हुए उन्होने अपनी आपत्ति समिति के सम्मुख प्रस्तुत की, समिति द्वारा सभी खातेदारों को 200' चौडी सेक्टर सडक के परिवर्तित एलाइमेंट संबंधी मानचित्र का अवलोकन करवाया गया। श्री रविन्द्र सिंह ठक्कर द्वारा भी मानचित्र का अवलोकन किया गया। मानचित्र का अवलोकन करने के

पश्चात् 200′ चौडी सेक्टर सडक में स्थिति परिवर्तन करने में श्री ठक्कर ने लिखित में सहमति प्रकट की। समिति द्वारा सभी प्रभावित खातेदारों को सुनने के पश्चात् 200′ चौडी सेक्टर सडक की स्थिति परिवर्तित एलाइनमेंट एजेण्डा के अनुसार अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–5

205 / 27.09.2013 (जोन–11)

विषय :– मैसर्स हरिओम बिल्डर्स जरिये साझेदार श्री रविन्द्र सिंह ठक्कर ग्राम अजयराजपुरा, तहसील–सांगानेर के खसरा नं. 939, 939 / 1, 939 / 2, 946, 953, 954, 956, 957, 957 / 1, 953 / 1114 / 1 कुल किता 10 रकबा 3.77 हैक्ट. भूमि के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, प्रार्थी द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत संशोधित फार्म हाउस योजना मानचित्र का समिति के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संशोधित योजना मानचित्र की जेड.एल.सी. दुबारा जोन द्वारा की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या–6

205 / 27.09.2013 (जोन–12)

विषय :– सेक्टर 48 व 49 में ग्राम–किशोरपुरा चारणान, बिन्दायका स्थित खसरा नं. 285 में स्थित सेक्टर रोड 60 मीटर के स्थान पर मास्टर प्लान 2025 में प्रस्तावित 60 मीटर रोड को सेक्टर 48 व 49 में रखने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना 2025 में दर्शित 60 मीटर सडक व सेक्टर प्लान में दर्शित सडकों में अंतर है इसलिए जोन द्वारा इस क्षेत्र का पी.टी. सर्वे एवं कमेंटमेंट करवाया जावें तत्पश्चात् प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या–7

205 / 27.09.2013 (जोन–13)

विषय :– निजी खातेदारी योजना सागर सिटी की संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:–

1. पूर्व की योजना को यथावत् रखा जावें।
2. आवेदक योजना विस्तार के पार्ट का मानचित्र नियमानुसार टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कार्यवाही होने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1

205 / 27.09.2013 (जोन–7)

विषय :– निजी खातेदारी की योजना कृष्णा कुंज में ई.डब्ल्यू.एस / एल.आई.जी. के संशोधन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत योजना मानचित्र में ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. के भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है, इसलिए पूर्व में स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शित ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी के भूखण्डों को यथावत रखा जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–2

205 / 27.09.2013 (जोन–7)

विषय :– निजी खातेदारी की योजना वैशाली स्टेट ग्राम–सिरसी में अनुमोदित फैसिलिटी एरिया के एन्डयूज निर्धारित करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि संशोधित योजना पूर्व में स्वीकृत है तथा इन सुविधा क्षेत्रों का एण्ड यूज हॉस्पीटल प्रयोजन के निर्धारण से पूर्व आवेदनकर्ता प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–3

205 / 27.09.2013 (जोन–8)

विषय :– बन्धु गृह.निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय विहार स्कीम नं.–27 ग्राम–कल्याणपुरा के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना 2025 प्रस्तावित सडकों एवं सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सडकों की स्थिति में अंतर है, इसलिए निम्न शर्तों के अनुसार योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:–

1. मास्टर विकास योजना 2025 में उल्लेख है कि मास्टर विकास योजना 2025 में प्रस्तावित सडको व सेक्टर प्लान में दर्शित सडकों की स्थिति में परिवर्तन है तो सेक्टर प्लान में दर्शित सडकों की स्थिति को ही माना जावें, इसलिए समिति द्वारा सेक्टर प्लान में दर्शित सडक की स्थिति को माना।
2. मौके पर 40' सडक को सेक्टर रोड माना जावें, क्योंकि सेक्टर प्लान की सडके इस सडक पर से गुजरती है।
3. पृथ्वीराज नगर में दर्शित 60' सडक व इस योजना में प्रस्तावित 100' सडके मिलान करती है, इसलिए जो सडक मौके पर 40' है, उस सडक को 60' किए जाने हेतु इस सडक पर प्रभावित भूखण्डों के केन्द्र से बराबर–बराबर भूमि ली जाकर इस सडक को 60' किए जाने की शर्त पर योजना को अनुमोदित किया जावें।
4. प्रशासन शहरों के संग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी शिथिलता के तहत अन्य सेक्टर रोडों को विलोपित किया गया।
5. योजना में 30 फीट से कम चोडी सडक को 30 फीट किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–4

205 / 27.09.2013 (जोन–11)

विषय :– मैसर्स लोट्स एज्यूकेशन सोसायटी के संस्थानिक (शिक्षण संस्थान) भूखण्ड (खसरा नं. 1009, 2972 / 1010) ग्राम कलवाडा तहसील–सांगानेर के उप–विभाजन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपविभाजन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जावें कि आवेदक द्वारा मौके पर स्थित, सामने की 40 फीट चौडी सडक को 60′ चौडी सडक किये जावें।

प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–5

205 / 27.09.2013 (जोन–12)

विषय :– हाईटेक सिटी–द्वितीय आवासीय योजना अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श किया गया, मूल योजना पूर्व में स्वीकृत थी। इस योजना का क्षेत्र 10 हैक्टेयर किए जाने हेतु प्रार्थी ने इस योजना के पास से कुछ जमीन क्रय की है, जिसमें आवासीय योजना प्रस्तुत की है, समिति ने विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय लिए गयेः–

1. 10 हैक्ट. से अधिक क्षेत्र की योजना में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 10 प्रतिशत पार्क व 10 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आवश्यक है, इसलिए समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि पूर्व में स्वीकृत योजना को यथावत रखते हुये प्रस्तावित नयी योजना में 10 प्रतिशत पार्क व 10 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र दर्शाते हुये संशोधित योजना मानचित्र लिया जावें।
2. नयी योजना क्षेत्र में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.02.2013 के अनुसार सेक्टर प्लान / मास्टर प्लान का क्षेत्रफल निर्धारित से अधिक सडक क्षेत्र हो तो जितना सडक क्षेत्र अधिक है वह पार्क क्षेत्र व सुविधा क्षेत्र में समायोजित किया जावें।
3. संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पर योजना आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति ली जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–6

205 / 27.09.2013 (जोन–12)

विषय :– निजी खातेदारी की वेस्टन ग्रिन आवासीय योजना ग्राम–चकबिचपडी व जयभवानीपुरा तहसील–जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि योजना टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार है इसलिए योजना को निम्न शर्त के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः–

1. अजमेर रोड से होते हुए ग्राम–चकबिचपडी से ग्राम निमेडा जाने वाली विद्यमान 20′ से 30′ सडक को 100′ किया जावें। इस ग्रामीण सडक को 100′ किये जाने के संबंध में जोन द्वारा

सम्पूर्ण सडक क्षेत्र का सर्वे करवाया जावें एवं ग्रामीण सडक को 100′ किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावें, इस हेतु दोनो ओर के भू–स्वामियों से बराबर भूमि ली जावें।

2. प्रार्थी द्वारा 5 प्रतिशत पार्क अलग से नहीं दर्शाया है इसलिए 5 प्रतिशत पार्क अलग से दर्शाया जावें।

3. योजना में आवासीय भूखण्ड 397 है जबकि रिटेल कॉमर्शियल में 10′x10′ की 42 दुकाने रिटेल कॉमर्शियल हेतु दर्शायी है इसलिए दो दुकाने अस्वीकृत किया जावें क्योंकि केवल 40 दुकाने अनुज्ञेय हैं।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–7

205 / 27.09.2013 (जोन–12)

विषय :– निजी खातेदारी योजना गार्डन रेजीडेन्सी ग्राम–गोविन्दपुरा के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, योजना पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है, योजना अनुमोदन के पश्चात् इस क्षेत्र का सेक्टर प्लान 54–55 बनाया गया है। इस सेक्टर प्लान में योजना के सामने 200′ चौडी सेक्टर सडक व साइड से 160′ चौडी सेक्टर सडक प्रस्तावित की गयी है। सेक्टर प्लान में दोनों सडकों पर वाणिज्यीक भू–पट्टी प्रस्तावित है। प्रार्थी ने जो संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत किए है उनमें वाणिज्यक भू–पट्टी नहीं दर्शायी है पूर्व में स्वीकृत योजना मानचित्र में 200′ सडक पर प्लान्टेशन कोरिडोर स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी ने संशोधित योजना मानचित्र में प्लांटेशन कोरिडोर के स्थान पर आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किए है एवं सम्पूर्ण योजना को संशोधित किया गया है, अतः समिति विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि संशोधित योजना मानचित्र में सेक्टर प्लान के अनुसार वाणिज्यक भू–पट्टी दर्शायी जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–8

205 / 27.09.2013 (जोन–14)

विषय :– मैसर्स प्रियंका जैवल्र्स प्रा0लि0 परिवर्तित नाम मैसर्स ए.आर.जी. बिल्डहोम प्रा0लि0 जरिये बिष्णु कुमार धामाणी द्वारा राजस्व ग्राम–वाटिका तहसील सांगानेर की कुल रकबा 11.96 हैक्ट. भूमि क्षेत्र पर आवासीय का मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14 व आवासीय फ्लेट आर.आर.आई. का निर्माण एल.टी. लाईन हटने के पश्चात् किया जावें तथा योजना टाउनशिप पॉलोसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार है इसलिए योजना को अनुमोदित किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–9

205 / 27.09.2013 (जोन–15)

विषय :– अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलोसी के अंतर्गत सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 की योजना ग्राम बगरूखुर्द के खसरा नं. 82, 83, 84 का क्षेत्रफल 1500 व.मी. भूमि को पूर्व में जारी पट्टे में सम्मलित कर संशोधित साईट प्लान एवं पट्टा अभिलेख जारी किये जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष चिारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श किया गया कि यह प्रकरण अर्फोडेबल नीति के अनुसार 52:48 में स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी ने जी.एस.एस. हेतु रा.रा.वि.निगम की माँग के अनुसार 1500.00 व.मी. का क्षेत्र का पुनर्गठन का प्रस्ताव चाहा गया है, जिसकी स्वीकृति पत्रावली पर दिये जाकर संशोधित लीजडीड व साईट प्लान राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 06.09.2013 को जारी जा चुकी है। अतः समिति द्वारा पुनर्गठन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–10

205 / 27.09.2013 (जोन–17)

विषय :– निजी खातेदारी की विनायक सिटी योजना में भूखण्ड संख्या ए–231 से ए–235 में पुनर्गठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श किया गया कि प्रस्तावित पुनर्गठन स्वीकृत किया जावें एवं पुनर्गठित भूखण्ड के मापदण्ड भवन विनियम 2010 / 2011 के अनुसार रखे जावें। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–11

205 / 27.09.2013 (जोन–17)

विषय :– पृथ्वीराज नगर योजना जोन–17 गैस गोदाम द्रोणपुरी रोड़ जो रोड़ नेटवर्क प्लान में 12 मीटर सड़क प्रस्तावित है, के अलाइमेन्ट परिवर्तन के संबंध में।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया कि पी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदित प्लान में उत्तर–पश्चिम की ओर दर्शित 12 मीटर सेक्टर रोड़ का एलाइमेन्ट पी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अनुमोदित जविप्रा के खसरा नं. 85–86 ग्राम गिरधारीपुरा योजना अनुसार व उक्त योजना के पश्चात रोड़ का अलाइमेन्ट दक्षिण की तरफ निर्मित मकानों के साथ–साथ करते हुए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–12

205 / 27.09.2013 (पी.आर.एन)

विषय :– पृथ्वीराज नगर योजना में भू–उपयोग निर्धारण के संबंध में।

पृथ्वीराज नगर के भूखण्डो पर भवन विनियम–2010–11 व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार मानदण्ड लागू होंगे। गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजनाओं व अन्य विद्यमान आवासीय / रिक्त भूखण्डों का भू–उपयोग सामान्य आवासीय माना जावेगा, परन्तु मौके पर विद्यमान गैर आवासीय भूखण्डों का भू–उपयोग प्रचलित विनियमों / तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करते हैं तो विद्यमान भू–उपयोग माना जावेगा व यदि उक्त भूखण्ड भवन विनियमों / तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य आवासीय माना जावेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि एक बार भू–उपयोग का निर्धारण होने के पश्चात पुनः भू–उपयोग निर्धारण करने के लिये नियमानुसार प्रकिया अपनाकर किया जा सकेगा।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–13

205 / 27.09.2013 (जोन–4)

विषय :– सवाई माधोपुर रेलवे लाईन के पूर्व की तरफ अनुमोदित 100′ चौड़ी सड़क को विलोपित करते हुए माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चन्द्र नगर योजना के भूखण्ड संख्या 7 से 25 व 84 से 86 के नियमन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जोन द्वारा चन्द्र नगर योजना के सेक्टर रोड में प्रभावित भूखण्ड कब से निर्मित है के संबंध में बिजली, पानी के बिल इत्यादि प्रमाण के रूप में प्राप्त किये जावें एवं पश्चिम रेलवे मण्डल कार्यालय रतलाम (मध्यप्रदेश) के पत्र कमांकः डब्ल्यू / 73 / 0 / भाग–1 / नीति दिनांक 10.05.2001 के कम में रेलवे विभाग से टिप्पणी / राय प्राप्त की जावे। उक्त पश्चात प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–14

205 / 27.09.2013 (जोन–4)

विषय :– आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मदर टैरेसा नगर के भूखण्ड संख्या सी–1 के शेष भाग (क्षेत्रफल 226.64 वर्गगज) का नियमन करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर जोन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी के कब्जे में 226.64 वर्गगज क्षेत्रफल के भूखण्ड का कब्जा है, जो अलग खसरे का भाग होकर राजकीय भूमि है व अलग से भूखण्ड के रूप में जविप्रा द्वारा विकय किया जा सकता है अतः प्रार्थी को स्वीकृत मानचित्र अनुसार 190.97 वर्गगज के क्षेत्रफल का पट्टा दिया जावे व प्रार्थी के कब्जे से 226.64 वर्गगज क्षेत्रफल राजकीय भूमि को खाली करवाया जावे व राजकीय भूमि पर निर्माण होने की स्थिति में जोन द्वारा परीक्षण कर भूमि के बदले भूमि को एक्सचेंज करते हुये निर्णय लिया जा सकेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(हस्ताक्षर) 3.10.13
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2013 / डी– 213
दिनांकः 3/10/13

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 3.10.13
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।